न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 21 / 2013 जिला अलवर

1. सिंगारासिंह
2. अवतार सिंह
3. नागर सिंह

पुत्रान करतार सिंह, जाति रायसिक्ख, निवासी सौरखां कला , तहसील मुण्डावर, जिला अलवर वारिसान काबिज जायदाद करतार सिंह मृतक।

अपीलांट्स

बनाम

1. पालसिंह पुत्र तथाकथित करतार सिंह जाति रायसिक्ख, निवासी सौरखां कला, तहसील मुण्डावर, हालवासी पक्की तहसील बघाना हिन्दूमल कोट जिला श्रीगंगानगर व हाल चांदमारी तहसील व थाना फाजलका, जिला फिरोजपुर पंजाब ।
2. श्रीमती जागीरो बाई पुत्री तथाकथित करतार सिंह, जाति रायसिक्ख, निवासी सौरखां कला, तहसील मुण्डावर, हाल वासी जागीरो बाई पत्नि बलकार सिंह निवासी चांदमारी तहसील व थाना फाजलका, जिला फिरोजपुर, पंजाब ।

असल रेस्पोंडेन्ट्स

3. ग्रम पंचायत सौरखां कला तहसील मुण्डावर
4. चरण सिंह पुत्र करतार सिंह
5. पोलो सिंह पुत्र करतार सिंह
6. मु. जिदो बाई पुत्री करतार सिंह
7. सुद्रा बाई पुत्री करतार सिंह

जाति रायसिक्ख निवासी सौरेखां कला तहसील मुण्डावर, जिला अलवर । वारिसान काबिज जायदाद करतारसिंह पुत्र फूल सिंह मृतक

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर दिनांक 16.4.2009

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री शैलेन्द्र भार्गव
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री जर्नादन शर्मा

निर्णय

दिनांक – 23.7.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 16.4.2009 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 पालसिंह के प्रार्थना पत्र बाबत ग्रम सौरखा कला तहसील मण्डावर, जिला अलवर में मिन प्रार्थी पालसिंह पुत्र करतार सिंह के नाम विरासत इन्तकाल दर्ज करने का प्रस्तुत करने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.4.2009 पारित कर प्रार्थी पाल सिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक

करतार सिंह पुत्र फूल सिंह रायसिक्ख, निवासी सौरखा कलां, तहसील मुण्डावर जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर वाके सौरखा कलां 513, रकबा 0.13, 667 रकबा 0.11, 702 रकबा 0.78, 779/ 512 रकबा 0.17, 797/668 रकबा 0.09, 803/677 रकबा 0.04, 562 रकबा 0.15, 804/677 रकबा 0.10 का विरासत इन्तकाल प्रार्थी पालसिंह व जंगीर बाई पुत्री करतारसिंह के नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं ।

तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर के उक्त अपीलधीन निर्णय दिनांक 16.4.2009 से व्यथित होकर अपीलान्ट सिंगारसिंह वगैहरा पुत्रान करतार सिंह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर दिनांक 16.4.2009 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम सौरेखा कला , तहसील मुण्डावर, जिला अलवर स्थित खसरा नम्बरान 513, 667, 702, 779/ 512 797/668, 803/677, 562, 804/677 की आराजी अपीलान्ट के पिता करतारसिंह को सन् 1951 में आवंटित हुई थी और तभी से उनके पिता करतारसिंह का व उनके साथ साथ अपीलान्ट्स व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स व अपीलान्ट्स की माताजी काबिज काश्त थे । अपीलान्ट्स के पिताजी व माताजी का स्वर्गवास हो चुका है और तब अपीलान्ट्स विवादित अराजी पर काबिज काश्त है । उनका कहना था कि वारिसान बाबत ग्रम पंचायत सोरेखा कला पंचायत समिति मुण्डावर का वारिस प्रमाण पत्र पेश किया था जिसमें अपीलान्ट्स व तरतीबी रेस्पाडेन्ट्स को वारिस माना था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसे नजरन्दाज कर दिया । उनका कहना था कि पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट में आराजी मुतनाजा पर अपीलान्ट्स व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स का कब्जा मौके पर होना अंकित किया था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसे भी गलत करार कर दिया । उनका कहना था कि रेस्पोंडन्ट्स ने जो मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है वह दीगर करतार सिंह पुत्र फूल सिंह का है, जो बाहर रहता है । अपीलान्ट्स के पिता जी का स्वर्गवास ग्रम सौरखा कला में ही हुआ था व अपीलान्ट्स ही वारिसान है तथा अपीलान्ट्स की अन्य सम्पत्ति व जायदाद इसी ग्रम में है तथा वे इसी ग्रम में रहते हैं जिनके द्वारा आराजी मुतनाजा पर ऋण लिया था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के महत्वपूर्ण व कानूनी तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये रेस्पोंडेन्ट्स को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से करतार सिंह के वारिस रेस्पोडेन्ट्स को मानने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाण पत्र व हल्फनामा व ग्रम पंचायत का प्रमाण पत्र , परिवार कार्ड करतार सिंह का एवं माताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया था । रेस्पोंडेन्ट्स करतार सिंह के वारिसान नहीं है , लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर रेस्पोंडेन्ट्स को करतार सिंह का वारिस मानने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा विवादित भूमि के खातेदार करतार सिंह की विरासत का नामांतरकरण अपीलान्ट्स व तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि सन् 1947 में रेस्पोंडेन्ट्स के पिता करतार सिंह पुत्र

चित्रा
प्रतिलिपि संभागीय आयुक्त
जयपुर

फूल सिंह को आवंटित हुई थी । रेस्पोंडेन्ट्स के पिता वाके ग्रम पक्की, तहसील व थाना हिन्दूमल कोट, जिला श्रीगंगानगर में जाकर रहने लगे थे और वही पर उनका देहान्त दिनांक 25.10.79 को हो गया था जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत कर दिया था । करतारसिंह के फौत होने के बाद रेस्पोंडेन्ट्स पाल सिंह हाल चांदमारी तहसील व थाना फाजलका, जिला फिरोजपुर में अस्थाई तौर पर जाकर रहने लगा । रेस्पोंडेन्ट की जायजाद वाके ग्रम सौरखा कला, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में स्थित है और पिता की मृत्यु हो जाने के बाद अपने नाम नामांतरकरण तस्दीक कराने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार मुण्डावर को प्रस्तुत किया था कि करतार सिंह के दो जायज वारिस पाल सिंह पुत्र करतार सिंह व जगीरों बाई पुत्री करतार सिंह है । अतः पाल सिंह व जगीरों बाई के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज किया जावे । रेस्पोंडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.4.2009 पारित कर प्रार्थी पाल सिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक करतार सिंह पुत्र फूला सिंह रायसिक्ख, निवासी सौरखा कलां, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर वाके सौरखा कलां 513, रकबा 0.13, 667 रकबा 0.11, 702 रकबा 0.78, 779/ 512 रकबा 0.17, 797/668 रकबा 0.09, 803/677 रकबा 0.04, 562 रकबा 0.15, 804/677 रकबा 0.10 का विरासत इन्तकाल प्रार्थी पाला सिंह व जंगीर बाई पुत्री करतार सिंह के नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के खातेदार करतार सिंह पुत्र फूल सिंह की विरासत के नामांतरकरण के संबंध में है । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर के समक्ष विवादित भूमि के मृतक खातेदार करतार सिंह पुत्र फूला सिह की मृत्यु दिनांक 25.10.79 को होने का मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु ग्रम पंचायत पक्की, पंचायत समिति श्रीगंगानगर का पेश किया था जिससे करतार सिंह को ग्रम सौरखा कलां से ग्रम पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर में रहने लग जाने एवं उसकी मृत्यु दिनांक 25.10.79 को होना तथा पटवारी हल्का सौरखा कलां की रिपोर्ट दिनांक 27.10.08 के मुताबिक आराजी पर कब्जाधारी स्वयं को करतार सिंह पुत्र फूल सिंह को पंजाब में अन्य नाम से जाने जाना एवं दूसरी तरफ करतार सिंह के वारिसान ने पालासिंह के प्रार्थना पत्र के जवाब दिनांक 9.2.09 में करतार सिंह को फौत होना एवं स्वयं को करतारसिंह का जायज वारिस होना बताया है । इसकी ताईद में चरण सिंह, नागर सिंह, अवतार सिंह, सिंघार सिंह पुत्रान करतार सिंह ने भी अपने पिता करतारसिंह को फौत होना बताया है, लेकिन करतारसिह की मृत्यृ कब हुई इसकी दिनांक अंकित नहीं की तथा ना ही मृत्यु होने का प्रमाण पत्र पेश किया जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी करतार सिंह के वारिस होना बताते हैं, लेकिन पटवारी हल्का की रिपोर्ट में आराजी पर कथित करतार सिंह जिसे पंजाब में किसी अन्य नाम से जाना जाता है काबिज होकर काश्त करते हैं । इस प्रकार अप्रार्थीगणों द्वारा दिये गये हल्फनामें व जवाब प्रार्थना पत्र शुद्ध हस्त होकर प्रस्तुत करना साबित नहीं माना है । इन तथ्यों से स्पष्ट है कि वास्तविक करतार सिह की सही जानकारी अप्रार्थीगणों को नहीं है बल्कि वे कथित रूप से करतार सिंह बने हुये व्यक्ति के जो सम्भवतया मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का आज भी जिन्दा है तथा मौके पर इस आराजी पर काबिज है , के वारिसन है ना कि वास्तविक करतार सिंह पुत्र फूला सिंह रायसिख के । इसी तरह करतार सिंह पुत्र फूला सिंह के नाम राशन कार्ड की फोटो प्रति अप्रार्थीगण ने पेश की जिसमें करतारसिंह की

प्रति
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उम्र 45 वर्ष अंकित की है जबकि आवंटन आदेश दिनांक 23.6.1951 में करतारसिंह की उम्र 22 वर्ष अंकित की है जिसके मुताबिक वर्तमान में उसकी· उम्र लगभग 80 वर्ष होना स्पष्ट है जिससे प्रस्तुत अप्रार्थीगणों का रिकार्ड करतारसिंह पुत्र फूला सिंह बाबत प्रमाणित नहीं होता है । पाला सिंह प्रार्थी ने करतार सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र स्वयं पाल सिंह का शपथ पत्र जो उप खण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा प्रमाणित है तथा वारिस प्रमाण पत्र सरपंच ग्रम पंचायत प्रस्तुत किया जिनमें करतारसिह पुत्र फूला सिंह की मृत्यु दिनांक 25.10. 1979 को होना स्पष्ट माना है तथा इसके जायज वारिस प्रार्थी पालसिंह तथा उसकी बहन जगीरों बाई है । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की ताईद स्वतंत्र गवाहान ने की है । करतार सिंह की मृत्यु होना एवं उसके जायज वारिस पालसिंह तथा मृतक की पुत्री जगीरो बाई को मानते हुये करतारसिह की अलाट शुदा आराजी वाके ग्रम सोरखा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर का विरासत का नामांतरकरण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी मानते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.4.2009 द्वारा रेस्पोंडेन्ट पाला सिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक करतार सिंह पुत्र फूला सिंह रायसिख निवासी सौरखा.कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर की आराजी खसरा वाके सौरखा कलां 513 रकबा 0.13, 667 रकबा 0.11, 702 रकबा 0.78, 779/ 512 रकबा 0.17, 797/668 रकबा 0.09, 803/677 रकबा 0.04, 562 रकबा 0.15, 804/677 रकबा 0.10 का विरासत इन्तकाल पालासिंह व जांगीर बाई पुत्री करतारसिंह के नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट्स द्वारा करतार सिंह की मृत्यु होने का कथन किया है, किन्तु करतार सिंह का मृत्यु प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर करतारसिंह पुत्र फूला सिंह प्रमाणित नहीं माना है । रेस्पोंडेन्ट पाला सिंह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 15.5.2008 करतार सिंह पुत्र फूला सिह , सरपंच ग्रम पंचायत बडी पक्की, पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा जारी करतार सिंह पुत्र फूला सिंह का वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 15.5.2008, शपथ पत्र पाला सिंह पुत्र करतार सिंह दिनांक 24.11.2008 जो उप खण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर से प्रमाणित है जिसमें करतार सिंह के वारिसान पाला सिंह व जंगीरो बाई को अंकित किया है । उक्त दस्तावेजात के आधार पर मृतक खातेदार करतार सिंह पुत्र फूला के जायज वारिस रेस्पोंडेन्ट पाला सिंह पुत्र एवं एवं जंगीरो बाई पुत्री करतार सिंह ही प्रतीत होते हैं । अधीनस्थ न्यायलय तहसीलदार मुण्डावर ने भी दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्य सबूत, दस्तावेजात लेकर विस्तृत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित कर उनके समक्ष रेस्पोंडेन्ट द्वारा करतार सिंह के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजात में करतार सिंह पुत्र फूला सिंह के नाम राशन कार्ड की फोटो जिसमें करतारसिंह की उम्र 45 वर्ष अंकित होना जबकि आवंटन आदेश दिनांक 23.6.1951 में करतारसिंह की उम्र 22 वर्ष अंकित होने से वर्तमान में उसकी उम्र लगभग 80 वर्ष होना स्पष्ट मानते हुये रिकार्ड करतारसिंह पुत्र फूला सिंह बाबत प्रमाणित नहीं माना है तथा उनके समक्ष प्रार्थी पाला सिंह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में करतार सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, स्वयं पाल सिंह का शपथ पत्र जो उप खण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा प्रमाणित है , के आधार पर करतारसिह पुत्र फूला सिंह की मृत्यु दिनांक 25.10.1979 को होना मानते हुये मृतक करतार सिंह के जायज वारिस प्रार्थी पालसिंह तथा उसकी बहन जगीरों बाई को मानते हुये विवादित भूमि के मृतक खातेदार करतार सिंह पुत्र फूला सिंह की विरासत का इन्तकाल रेस्पोंडेन्ट पाला सिंह पुत्र व जंगीर बाई पुत्री करतार सिंह के नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा उसमें कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होने से अपीलाधीन आदेश तहसीलदार मुण्डावर दिनांक

प्रतिलिपि संस्थापीय कापूर जयपुर

16.4.2009 को यथावत रखना उचित मानते हुये अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.7.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर